



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए ट्रांसफार्मरों से विद्युत तेल/तार चोरी करने के 02 आरोपियों को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 05-05 हजार रुपये (कुल 10,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 13.05.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा ट्रांसफार्मरों से विद्युत तेल/तार चोरी करने के 02 आरोपियों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 11.03.2022 को अभियुक्तगण 1.सागर पुत्र प्रकाश निवासी जाहिदपुर थाना खरखौदा जनपद मेरठ 4. इरशाद पुत्र महमूद निवासी जाकिर कालोनी थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ द्वारा हुए ट्रांसफार्मरों से विद्युत तेल/तार चोरी किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 98/2022 धारा 136, 137 विद्युत अधिनियम पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 09.05.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 13.05.2022 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय हापुड़ द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 05-05 हजार रुपये (कुल 10,000/- रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री नरेश चन्द शर्मा (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 नवीन गौतम एवं पैरोकार म0का0 रीता व कोर्ट मोहर्नर का0 दुष्यन्त राठी का विशेष योगदान रहा।

